बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण

डॉ उज्जवल कुमार (अर्थशास्त्र विभाग)

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा सारण बिहार – 841301

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आरेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य लिए द्वितीयक स्त्रोतों का उपयोग किया गया है। इसके लिए मुख्यतः इन्टरनेट से प्राप्त सामग्रियों, प्रकाशित ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं में छपें विवरण, निबंध एवं लेख तथा विभिन्न शोध–ग्रंथों को अध्ययन का आधार बनाया गया है।

भूमिका

प्राचीन 'ग्राम गणतंत्र' में पंचायतों की स्थापित परंपरा के संदर्भ में स्थानीय संस्था के रूप में ग्राम पंचायत का ग्रामीण भारत में एक लम्बा इतिहास है जिसका विस्तृत विवरण कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के सतरहवें अध्याय में तथा शुक्राचार्य के 'नीतिसार' में मिलता है जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में उद्धृत किया है। पंचायत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। यह हमारी गहन सूझ–बूझ के आधार पर व्यवस्था–निर्माण करने की क्षमता का परिचायक है। यह हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता एवं सम्पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति लगाव का घोतक है।

इन पंचायतों की भूमिका मुख्य रूप से विवादों का निपटारा करना था, जबकि जातीय पंचायतें सदियों से चलन में थीं जो अपने समाज की समस्याओं का निपटारा करती थीं। शुरू–शुरू में पंचायत किसी निश्चित क्षेत्र से चुने पॉच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय होती थी। इसका निश्चित क्षेत्र एक गॉव हुआ करता था। देश और राज्य की सीमाएं बड़ी–छोटी होती रही। भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा, परन्तु गॉव एक स्थिर इकाई बना रहा। भौगोलिक एवं सामाजिक दोनों तरह से इन सभी बदलावों से अछूता रहा। सहमति जन्य प्रकृति के कारण पंचायतें एक लम्बी अवधि तक कार्यरत रही लेकिन मुगल काल तक आते–आते इनकी प्रभावकारिता कम हो गयी। पुनः ब्रिटिश शासनकाल में फेमिन कमीशन तथा 1882 के रिपन प्रस्ताव ने स्थानीय ग्रामीण मामलों के प्रशासन से लोगों को सम्बन्द्ध करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को गठित और विकसित करने पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप कई प्रांतों में

सीमित कार्यो के साथ ग्राम पंचायतों को गठित किया गया जिसे स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं का भरपूर साथ मिला। गॉधी जी का ग्राम स्वराज की संकल्पना ने भी पंचायती राज की अपरिहार्यता को स्वीकार किया।

आजादी के बाद स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, ग्राम के लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोटे–छोटे विवादों को आपस में सुलझाने के उद्देश्य से भारत में अन्य राज्यों के भॉति बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1947 बिहार विधान मंडल द्धारा पारित किया गया। बाद में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता कमिटी ने प्रमुख रूप से ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन तथा इन संस्थाओं को समुचित अधिकार, कार्य और जिम्मेवारी सौंपने, सामुदायिक विकाय कार्यो में स्थानीय स्तर पर निर्वाचीत प्रतिनिधियों को भागीदारी देने तथा प्रशासन की भूमिका केवल कानूनी सलाह देने तथा सीमित रखने संबंधित सुझाव दिए। त्रि–स्तरीय पंचायती राज का शुभारम्भ भी यही से हुआ। अधिकांश राज्यों ने इसी के आलोक में अपने अधिनियम बनाए। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 पारित किया गया।

इस प्रकार बिहार में त्रि–स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सही रूप देने हेतु जिला स्तर पर, जिला परिषद्, प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर, पर ग्राम पंचायत को कारगर ढ़ग से लागू करने का राज्यादेश निर्गत हुआ। पुनः पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से गठित अशोक मेहता समिति (1978), जी.वी.के. राव समिति (1985) तथा डॉ.एल. एम. सिंघवी समिति के रिपोर्ट तथा अनुशंसा के आधार पर 1992 में संविधान के 73वें संशोधन को पारित किया गया और पंचायती राज को पूर्णतः संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्धारा पंचायतों को न केवल विकास संबंधी अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें राजनीतिक महत्व भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम,1993 पारित किया गया और ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं. 4835 दिनांक 4 सितंबर, 1993 द्धारा विधिवत 23 अगस्त, 1993 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। पुनः बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 यथा अद्यतन संशोधित को निरसित एवं प्रतिस्थापित करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पारित किया किया गया जिसे क्रमशः 2006, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 अधिनियमों द्धारा संशोधित किया गया है। साथ ही उपरोक्त अधिनियम की धारा 146 द्धारा

प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 की रचना की।

इस प्रकार पंचायत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में शुरू होकर बहुत सारे अधिनियमों के दायरे से होते हुए आज एक संवैधानिक संस्था के रूप में हमारे सामने क्रियाशील है पर संस्था या व्यवस्था तो एक माध्यम मात्र होती है। इसकी सार्थकता तो इसके व्यवहार में होती है। उसके आधार पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंचायत राज विभिन्न संस्थाओं का व्यवहारिक स्वरूप कुछ इस प्रकार उभर कर सामने आता है –

(1) ग्राम सभा व्यवहार के आधार पर पंचायत राज का लोक केन्द्रित स्वरूप है यहॉ जनता द्धारा चुने गए ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जनता के समक्ष उपस्थित होकर उनके प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। यह गणतंत्र की सबसे अनूठी और पंचायती राज का सबसे मौलिक स्वरूप है। ग्राम सभा में ही गणतंत्र लोगों के लिए तथा लोगों द्धारा वाला स्वरूप धारण करता है।

(2) ग्राम सभा ही वह आधारशिला है जिस पर पंचायती राज का पूरा विकसित ढ़ॉचा अवस्थित है।

(3) ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे जमीनी संस्थागत स्वरूप है। यही एक मात्र विश ुद्ध निर्वाचित सदस्यों की संस्था है। यहॉ तक कि इस संस्था के प्रधान, मुखिया भी सीधे जनता से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत एक विशुद्ध संस्था इसलिए भी है कि इसमें बाहर का कोई अन्य व्यक्ति सदस्य नही होता यह जनता द्धारा सीधे निर्वाचित सदस्यों की संस्था है जो जनता के बीच रह कर संस्थागत स्तर से काम करती है।

(4) पंचायत समिति संस्थाओं की संस्था है यह ग्राम पंचायतों को नियमित एवं सुचारू रूप से चलने में सहासक की भूमिका में भी है और समूह नायक की भूमिका में भी। पंचायत समिति स्तर पर पहली बार पंचायत राज प्रशासन

से सम्पर्क में आता है और उसके माध्यम से उठकर क्षेत्र के आधार पर कार्य कलापों का संकलन एवं संपादन करता है यहॉ पंचायत राज अपने नियामक स्वरूप में अवस्थित है।

(5) जिला परिषद् पंचायत राज के समन्वयक स्वरूप में अवस्थित है। यह तीन स्तरों पर समन्वय करता है– पहला, पंचायत समितियों के बीच जिसका प्रति फल जिला स्तरीय योजना निर्माण होता है। दूसरा, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जिसका प्रतिफल पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का निर्धारण होता है। तीसरा, प्रशासन एवं शासन के साथ समन्यवय जिसका प्रतिफल पंचायत राज का नीतिगत स्वरूप होता है।

पंचायत राज के इन तीनों स्वरूपों में एकरूपता भी है और विविधता भी। एकरूपता इसलिए कि ये सभी निकाय है। विविधता इसलिए कि सभी अपने आप में स्वतत्र भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय विकास एवं स्थानीय एकजुटता के माध्यम से समाज का कायाकल्प हो सकता है

पंचायत राज संस्था एक स्वायत निकाय है यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। यह ग्राम सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिए काम करता है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था की तृणमूल स्तर की इकाई है जो इसके 'राज' कहे जाने को सार्थकता प्रदान करती है किसी भी 'राज' से संबंधित होने वाले तंत्र के सामन्यतः तीन अधिकार होने आवश्यक है–

कर लगाने का अधिकार, योजना बनाने का अधिकार एवं क्रियान्वयन करने का और सुरक्षा दल गठित करने एवं संचालन करने का अधिकार। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही ऐसी संस्था है जो 'राज' होने की लगभग तीनों शर्तो को पूरा करती है यह कर भी लगा सकती है यह अपनी योजना बना कर उस पर अमल भी कर सकती है साथ ही यह ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकती है जो न पंचायत समिति कर सकती है और न ही जिला परिषद्। ग्राम पंचायत हमारे गणतंत्र की सबसे अनोखी संस्था है। यह अनोखी इसलिए भी है कि यह निर्वाचित सदस्यों की विशुद्ध सभा है।

इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधान सभा, लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों के आलावा मनोनीत या किसी और संस्था के लिए निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यहॉ तक कि इसका मुखिया भी जनता द्धारा ही निर्वाचित होता है, निर्वाचित सदस्यों द्धारा नही। इसके आलावा ग्राम पंचायत ही हमारी सदियों पुरानी परम्परा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत एवं विकसित रूप है। इसके सदस्यों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, उन्हें चुनने का ढ़ग बदल गया हो, उनका सामाजिक आधार बदल गया हो पर वे हैं जनता के बीच के ही। वे चुने जाने के बाद कहीं 'चले' नहीं जाते हैं। अपने लोगों, अपने चुनने वालों के बीच ही उनका अभिन्न अंग बन कर रहते हैं।

इन्हीं सब कारणों से ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं और इसके निर्वाचित सदस्य सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। उनका उत्रादायित्व सीधे जनता के प्रति है न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिए उनका सशक्त, जागरूक एव सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है और निर्णायक लक्ष्य भी। यही कारण है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र भौगोलिक या प्रशासकि आधार पर न होकर जन्संख्या अधारित है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र लगभग 7000 की जनसख्या पर जिला दंडाधिकारी द्धारा निर्धारित किया जाता है। इसमें एक से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं। जबकि बड़ी बात जनसंख्या वाले नाम से ऐसा लगता है कि अधिनियम में दी गई परिभाषा के मुताबिक ग्राम पंचायत एक राजस्व गॉव स्तर का पंचायत हो पर ऐसा नहीं। राजस्व गॉव तो ग्राम सभा का आधार है, ग्राम पंचायत का आधार नहीं।

वास्तव में कई राजस्व गॉव इतने बड़े है कि इनमें कई ग्राम पंचायतें हैं और अधिकतर ग्राम पंचायतें ऐसी है कि जिनमें कई राजस्व गॉव हैं। अतः उन्हें उतनी ही ग्राम सभाएँ करनी पड़ती है और जिस राजस्व गॉव में कई ग्राम पंचायतें हैं वे अपनी अलग–अलग ग्राम गठित करती है।

ग्राम पंचायत की संरचना

- एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं।
- जिला दंडाधिकारी द्धारा अधिसूचित यथा संभव 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
- ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है।

- ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव यथा संभव 500 की जनसंख्या पर अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।

ग्राम पंचायत की बैठक

- ग्राम पंचायत की बैठक दो माह में कम से कम एक बार पंचायत कार्यालय में करनी जरूरी है।
- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं बैठक में विचारणीय विषय अंकित रहेगा।
- मुखिया जब भी उचित समझे तब और यदि एक तिहाई सदस्य बैठक करने के लिए लिख कर दे तो मुखिया को 15 दिनों के अन्दर विशेष बैठक बुलानी होगी।
- सात दिनों के सूचना पर साधारण बैठक बुलाई जाएगी।
- तीन दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
- सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि मुखिया विशेष बैठक 15 दिनों के अन्दर नहीं बुलाता है तो उप–मुखिया या एक तिहाई सदस्य 15 दिनों के अन्दर किसी दिन यह बैठक बुला सकेंगें। ग्राम वंचायत के सचिव सदस्यों को बैठक की सूचना देगें।

बैठक में कोरम

- बैठक का कोरम पूरा करने के लिए आधे निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।
- यदि कोरम पूरा नही हुआ तो एक घंटा तक इंतजार करने के बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी।
- स्थगित बैठक अगले दिन या किसी दूसरे दिन के लिए निर्धारित की जाएगी।
- स्थगित बैठक के लिए भी आधे सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है।

- कोरम पूर्ति के बगैर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हो सकती, विधि सम्मत कोई निर्णय तब मान्य होगा जब बैठक में कोरम पूरा होगा। बैठक में निर्णय बहुमत से होगा।
- किसी मुद्दे पर निर्णय के दौरान मतदान की आवश्यकता हो तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला मुखिया उप मुखिया अपना वोट देगा और मतों की समानता की स्थिति में पुनः वह अपना निर्णायक वोट देगा।
- किसी बैठक में मुखिया या उप मुखिया का कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित का मामला हो तो न तो वह अध्यक्षता करेगा न बैठक में भाग लेगा और न ही मतदान करेगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

- पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना।
- आर्थिक बजट बनाना।
- प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करना।
- लोक सम्पति से अतिक्रमण हटाना।
- स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना।
- गॉव के आवश्यक ऑकड़े को तैयार करना।
- कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।
- पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
- मत्स्य पालन।
- सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईधन एवं चारा।
- खादीग्राम और कुटीर उद्योग।
- ग्रामिण गृह निर्माण।
- पेयजल।
- सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल–मार्ग, और अन्य सेचार साधन।
- सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उनके रख–रखाव के लिए बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
- गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

- शिक्षा/प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित।
- व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा।
- पुस्तकालय।
- सांस्कृतिक एवं खेल–कुद कार्यकलाप।
- बाजार एवं मेले।
- ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- महिला एवं बाल विकास।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण।
- कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण।
- जन वितरण प्रणाली।
- सामुदायिक सम्पत्तियों का रख रखाव।
- धर्मशालाओं, छात्रावासों आदि संस्थाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण।
- कसाईखानों का निर्माण एवं रख रखाव।
- सार्वजनिक पार्क, खेल–कूद का मैदान आदि का रख रखाव।
- खटालों, कॉजी हाउस तथा ठेला स्टैण्ड का निर्माण एवं रख रखाव।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था।
- झोपड़ियों एवं सड़कों का निर्माण एवं नियंत्रण।

ग्राम पंचायत की स्थायी समितियॉ

ग्राम पंचायत के कामों को प्रभावी तरीकें से निपटाने के लिए 6 तरह की समितियॉ हैं:–

- योजना समन्वय एवं वित समिति।
- उत्पादन समिति।
- सामाजिक न्याय समिति।
- शिक्षा समिति।
- लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति।

- लोक निर्माण समिति।
  प्रत्येक स्थायी समिति में अध्यक्ष सहित निर्वाचन द्वारा कम–से–कम तीन और अधिक से अधिक ग्राम पंचायत के पॉच निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसके सदस्य नहीं हो।
- प्रत्येक समिति अपने कार्यो को प्रभावी रूप से निपटाने हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो व्यक्तियों कोआप्अ कर सकेगी जो ग्राम पंचायत सदस्य नहीं होगा।
- योजना समन्वय एवं वित समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा कुल मिलाकर तीन से अधिक समिति का अध्यक्ष मुखिया नहीं होगा।
- मुखिया प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा।
- प्रत्येक समिति में कम–से–कम एक महिला सदस्य होगी।
- सामाजिक न्याय समिति में एक अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होगा।
- ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य अधिकतम तीन समितियों में ही रह सकेगा।
- पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित समिति का सचिव होगा।
- जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी अन्य समितियों के सचिव के कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा।

ग्राम पंचायत की सम्पति और निधि

- ग्राम पंचायत को सम्पति अर्जित करने, रखने, निपटारा करने और संविदा करने का अधिकार है, किन्तु अचल सम्पति अर्जित करने हेतु सरकार से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
- केन्द्र या राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी या अन्य ग्राम पंचायत की ऐसी सम्पति जो ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में हो को छोड़कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की अन्य सम्पतियॉ ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगीं। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत करेगी।

- राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपलब्ध कोई सार्वजनिक सम्पति उसे आवंटित कर सकती है और तब वह सम्पति ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत निधि होगी। इनमें निम्न रकम जमा होगी।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्धारा दिया अंशदान या अनुदान।
- जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य प्राधिकार द्धारा दिए गए अंशदान या अनुदान।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्धारा स्वीकृत किया गया ऋण।
- ग्राम पंचायत द्धारा वसूली की गई कर, दर और फीस की सभी राशि।
- ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या ग्राम पंचायत द्धारा निर्मित और निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, भवन, संस्था एवं निर्माण से संबंधित सभी राशि।
- ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास या धर्मस्व से होने वाली सभी आय या अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सभी राशियॉ।
- इस अधिनियम के अधीन और यथा निर्दिष्ट लगाए गए जुर्माने की रकम।
- ग्राम पंचायत द्धारा प्राप्त होने वाली अन्य राशियॉ।

मुखिया या उप मुखिया के अधिकार और कर्त्तव्य (धारा 17)

मुखिया

- ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।
- ग्राम पंचायत के अभिलेखों का सही ढ़ंग से संधारण करना।
- ग्राम पंचायत की वितीय और प्रशासन व्यवस्था की देखभाल करना।
- ग्राम पंचायत के कर्मचारियों, अधिकारियों और वैसे कर्मचारियों जिनकी सेवा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हो, उनके काम पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- अधिनियम से संबंधित कार्यो को करने के लिए ऐसे अधिकार का प्रयोग, कार्यो का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम अथवा

इसके अधीन बनाई गई नियमावली के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सके।

- ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग, कार्यो का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा अथवा अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा सौंपे गए हों।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के आलोग में ग्राम पंचायत को सौंपे गए कार्यो को मुखिया अपने स्तर से सम्पादित नहीं करेगा। जैसे– किसी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन अगर ग्राम पंचायत के स्तर पर होना है तो मुखिया अपने स्तर पर ऐसे व्यक्तियों का चयन नहीं करेगा।

उप–मुखिया

- उप–मुखिया के ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कार्यो का निपटारा एवं कत्तव्यों का पालन करेगा जो सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अधीन लिखित रूप से मुखिया द्वारा सौंपा जाए।
- मुखिया की अनुपस्थिति में सभी अधिकारों का प्रयोग, कार्यो का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा।
- उप–मुखिया ऐसे अन्य अधिकार का प्रयोग, कार्यो का निपटारा एवं कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव द्वारा अथवा सरकार द्वारा सौंपे गए हो।

मुखिया या उप–मुखिया का त्याग पत्र या उन्हें पद से हटाया जाना।

- मुखिया या उप–मुखिया स्वयं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित रूप से अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।
- यदि सात दिनों के अन्दर वह त्याग पत्र वापस नहीं लेगा तो अगले दिन से त्याग पत्र स्वीकृत हो जाएगा।
- यदि उप मुखिया ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो उसका पद खाली हो जाएगा।
- ग्राम पंचायत सदस्य खुद लिखकर अपने त्याग पत्र मुखिया को देगें और सात दिनों के अन्दर वापस नहीं लेने पर वह स्वीकृत हो जाएगा।

अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुखिया को हटाया जाना।

- प्रत्येक मुखिया का पद उसी समय से खाली माना जाएगा जब से विशेष बैठक में कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए।
- विशेष बैठक के लिए कुछ मतदाताओं का कम–से–कम पाचवां हिस्सा अपने हस्ताक्षर सहित जिला पंचायत राज पदाधिकारी को लिखित देगा।
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी 7 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।
- बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी करेंगें।
- मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में उनके विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- कार्यकाल के अंतिम 6 माह शेष रहने के दौरान मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप मुखिया को हटाया जाना।

- प्रत्येक उप मुखिया का पद उसी समय से खाली माना जाएगा जिस समय से विशेष बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों एवं मुखिया की कुल संख्या के साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें।
- विशेष बैठक के लिए निर्धारित सदस्यों के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया को लिखित सूचना दी जाएगी।
- मुखिया 7 दिनों के अन्दर विशेष बैठक ग्राम पंचायत कार्यालय में बुलाएगा और उसकी अध्यक्षता करेगा।
- उप मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में उनके विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।
- उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर होने की तिथि से अगले एक वर्ष तक कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

- कार्यकाल के अंतिम 6 माह शेष रहने के दौरान उप मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

सरकार द्धारा मुखिया, उप मुखिया को हटाया जाना

- ग्राम पंचायत पर अधिकारिता रखने वाले के विचार में यदि कोई मुखिया अथवा उप मुखिया बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कतव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामलों का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो ऐसे मुखिया या उप मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुखिया या उप मुखिया को उसके पद से हटा सकेगा।
- निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया हटाये जाने की तिथि से पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पॉच वर्षो तक उम्मीदवारी होने का पात्र नहीं होगा। शेष आरोपों के आधार पर इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप मुखिया ऐसे ग्राम पंचायत में उसकी शेष अवधि के दौरान मुखिया या उप मुखिया या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

संदर्भ

1. मुखोपाध्याय, अशोक कुमार—दी पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल, दी वर्ल्ड प्रेस प्राइवेट लि., 1980
2. प्रसाद, बी.—ए रिवल्यूशनरी क्वेस्ट जय प्रकाश नारायणः ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ओ.यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1980
3. प्रसाद, अनिरूद्ध—'डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एण्ड राज' वर्कशॉप ऑन डसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एण्ड पंचायती राज इन्सटीच्यूशन्स इन बिहार, ए.एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना, मई 27—28, 2004, पृ. 73—75

4. पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के आरंभिक हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका–3, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना, 2012, पृ. 20–22
5. वर्मा, रवीन्द्र कुमार–'डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड पंचायत सिस्टम, वर्कशॉप ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड पंचायत राज इन्सटीच्यूशन इन बिहार, ए.एन. सिन्हा इन्सटीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना, मई 27–28, 2004, पृ. 82–83
6. अरोड़ा, पूरन चन्द, बिहार पंचायत राज : विधि एवं विधान, पाहूजा लॉ हाउस, पटना, 2000
7. अशोक मेहता कमिटि, रिपोर्ट ऑफ दी कमिटि ऑन पंचायती राज इन्सटीच्यूशन, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, 1978
8. इन्सटीच्यूट ऑफ सोशल सांइसेज– पंचायती राज अपडेट जुलाई–अक्टूबर, नई दिल्ली, 1998
9. मुखोपाध्याय, अशोक कुमार–दी पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल, दी वर्ल्ड प्रेस प्रा. लि., 1980
10. मुखर्जी, अमिताभ डिसेंट्रलाइजेशन : पंचायत्स इन दी नाइनटी विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1994